राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.2(46)नविवि/कोटा/2021 जयपुर, दिनांक : 10 DEC 2021

अधिसूचना

यह कि नगर विकास न्यास, कोटा को चम्बल रिवर फ्रंट के अन्तर्गत Garden work Nayapura puliya lagoon development at Rampura and other works हेतु ग्राम लाडपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की नगर निगम क्षेत्र में स्थित व्यवसायिक भूमि अधिग्रहण करने के संबंध में ग्राम लाडपुरा तहसील लाडपुरा तहसील कोटा की नगर निगम क्षेत्र में स्थित 9226 वर्गफुट अवाप्त किए जाने हेतु (विवरण संलग्न) भूमि अवाप्ति की जनहित एवं सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। सचिव, नगर विकास न्यास के द्वारा उक्त भूमि अवाप्ति की मांग जिला कलक्टर, कोटा को पत्र क्रमांक एफ–15/भू.आ./2021/355/दिनांक 01.10.2021 द्वारा भिजवायी जा चुकी है।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 04 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा इस प्रकरण में सामाजिक समाघात अध्ययन (Social Impact Assessment Study) का निर्धारण कार्य निष्पादन करने का निर्णय लिया गया है। सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ–15/भू.आ./2021/394 दिनांक 15.11.2021 द्वारा प्रस्तावित भूमि चम्बल रिवर फ्रन्ट के अन्तर्गत Garden work Nayapura puliya lagoon development at Rampura and other works हेतु ग्राम लाडपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की नगर निगम क्षेत्र में स्थित व्यवसायिक भूमि अधिग्रहण करने के संबंध में अवाप्ति का विवरण तथा अवाप्ति की जाने वाली भूमि का विवरण प्राप्त हो चुका है। सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा के पत्र दिनांक 15.11.2021 से प्राप्त उक्त अवाप्ति की जाने वाली भूमि के संबंध में सामाजिक समाघात निर्धारण कार्य करवाने हेतु जिला कलक्टर कोटा को एतद् द्वारा प्राधिकारी अधिकृत किया जाता है। जिला कलक्टर के स्वयं के स्तर से अधिनियम के विधिक प्रावधानान्तर्गत या राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में से किसी एक से उक्त कार्य करवा सकते है। राजस्थान भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के साथ संलग्न प्रारूप 2 के भाग के "ए" में अंकित टर्म ऑफ रेफरेंस इस प्रकरण में मानी जावेगी। अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत निर्धारित समय में उक्त कार्य सम्पादित करे साथ ही उक्त नियमों के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप 3 में रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. सचिव, नगर विकास न्यास कोटा, राजस्थान।
4. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं नियमानुसार राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

10/12/21

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

16/11/21 को Dutch S-P

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक :–एफ–15/भू.आ/2021/394 दिनांक :– 15 नवम्बर, 2021

4870

प्रेषिति :–

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम
नगरीय विकास विभाग
राजस्थान, सरकार
जयपुर।

कार्यालय ... विभाग
शासन ... जयपुर
डायरी नं. 45600
दिनांक 23/11/21

विषय :– "चम्बल रिवर फ्रन्ट के अन्तर्गत Garden work Nayapura puliya lagoon Development at Rampura and other works **हेतु ग्राम लाडपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की नगर निगम क्षेत्र मे स्थित व्यवसायिक भूमि अधिग्रहण करने के सम्बन्ध मे।"**

22/11/21

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि नगर विकास न्यास कोटा को चम्बल रिवर फ्रन्ट के अन्तर्गत **Garden work Nayapura puliya lagoon Development at Rampura and other works** हेतु ग्राम लाडपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की नगर निगम क्षेत्र मे स्थित 9226 वर्गफुट व्यवसायिक भूमि अवाप्त किया जाना आवश्यक है। इस हेतु आज्ञापक प्रावधानानुसार श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 15/भू0आ0/2021/355/दिनांक 01/10/2021 से अनुरोध किया गया था तथा श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार सम्भावित मुआवजा राशि का 10प्रतिशत भाग रूपये 11024000/– चेक संख्या 265563 दिनांक 27/10/2021 से जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ जमा कराये जा चुके है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के पत्र क्रमांक ( ) राजस्व/भू0आ0/2021/2680/ दिनांक 12/11/2021 से अभिशंषा प्राप्त होने के उपरान्त प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जा रहा है।

अतः अवाप्त की जाने वाली प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–4 (1) के तहत प्रस्ताव संलग्न कर निवेदन है कि प्रस्तावित अधिग्रहण की कार्यवाही हेतु विशेषाधिकारी (भूमि), नगर विकास न्यास, कोटा को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करते हुये भूमि अवाप्ति के सम्बंध में अग्रिम कार्यवाही करने का श्रम करावें।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार।

सचिव
नगर विकास न्यास,
कोटा

Urban Improvement Trust, Kota (Raj.)

A

Detailed Project Report

On

Compulsory Land Acquisition (Parasram Jhamnani S/o Harishchandra)

Under

Chambal River Front Project

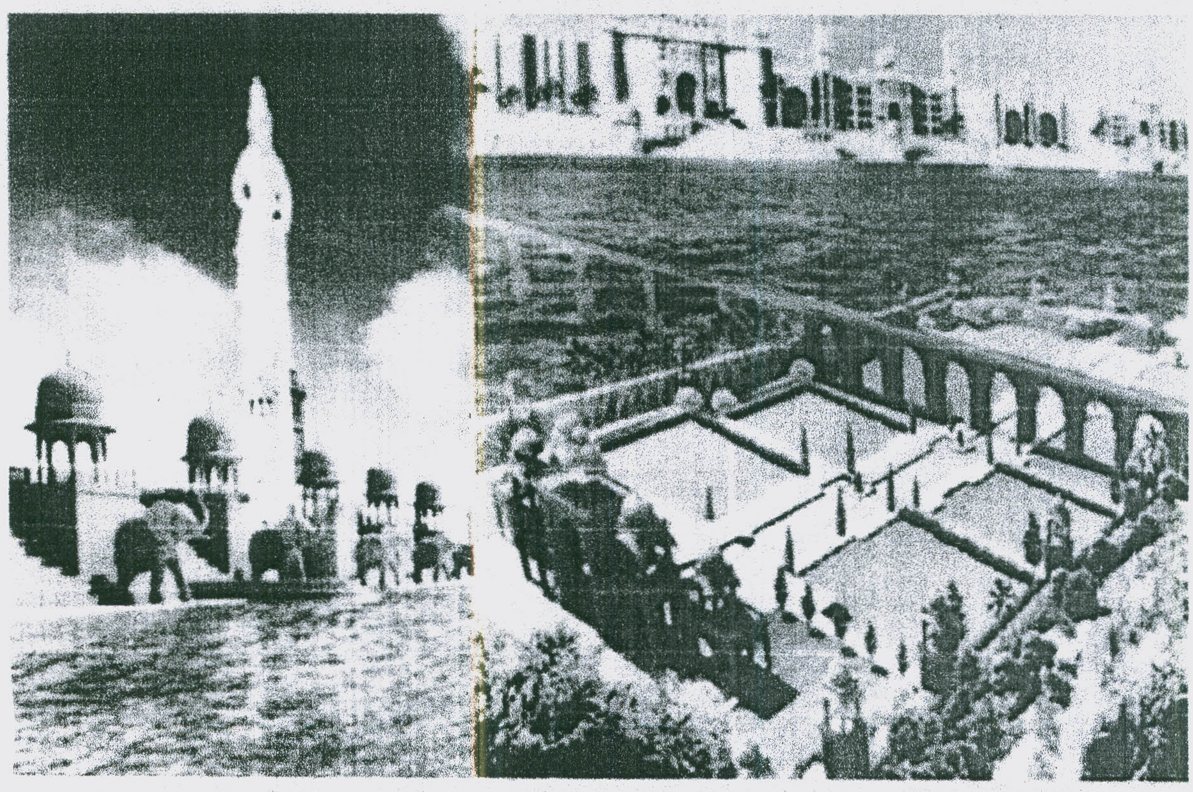

Submitted By:- Executive Engineer (Project)

1. **प्रस्तावना :** माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2018-19 के तहत कोटा शहर को **बाढ़** से बचाने के लिए रीटेनिंग वाल निर्माण के साथ साथ चम्बल रिवर फ्रन्ट का कार्य किया जा रहा हैं। चम्बल रिवर फ्रन्ट के निर्माण से कोटा की अर्थ व्यवस्था में अभूतपूर्व वृद्धि की संभावना हैं। यह परियोजना न सिर्फ सौदर्यकरण का उदाहरण हैं अपितु लगते हुए रिहायशी इलाकों के बाढ़ नियंत्रण की ,चम्बल नदी के स्वच्छ पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण की दृष्टि से भी एक उत्कृष्ट पहल साबित होगा। इस परियोजना के निर्माण उपरांत कोटा के पर्यटन में जबरदस्त उछाल आएगा और कोटा पर्यटन का अग्रणी शहर बन जाएगा। इस परियोजना के निर्माण से लेकर संचालन तक रोजगार के कई नए अवसर पैदा होंगे।

2. **अनिवार्य भूमि अधिग्रहण (Compulsory Land Acquisition) की आवश्यकता :** चम्बल रिवर फ्रन्ट के लिए मुख्य प्रवेश द्वार नयापुरा खाई रोड़ से दिया जाना प्रस्तावित हैं। जिसकी प्रस्तावित ड्रॉइंग संलग्न हैं। नयापुरा से पहले ही दो फ्लाई ओवर गुजर रहें हैं। ऐसी स्थिति में मुख्य प्रवेश द्वार के लिए ड्रॉइंग अनुसार जो जगह चिन्हित की गई हैं , मूल खातेदार के आबकारी विभाग में डिफॉल्टर होने से वर्तमान में ये जगह आबकारी विभाग के अधीन है। जिसका विवरण निम्न प्रकार हैं।

   A. परसराम झामनानी पुत्र हरीश चंद्र (c /o) आबकारी विभाग खसरा संख्या 90(0.01 Hect), 91(0.03 Hect) , 92(0.05 Hect.), 92/238 (0.02) सिवायचक 90 -ए कुल किता 4 रकबा 0.11 Hect .

3. **भूमि की वर्तमान स्थिति :-** वर्तमान में उक्त भूमि पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स निर्मित होकर कुछ दुकानें विक्रये पत्र के माध्यम से दूसरे हितधारकों को बेची हुई हैं एवं कुछ दुकाने किराये पर हैं। शेष रिक्त पड़ी हैं।

(1) Partly Sale

(2) Rent

(3) Open

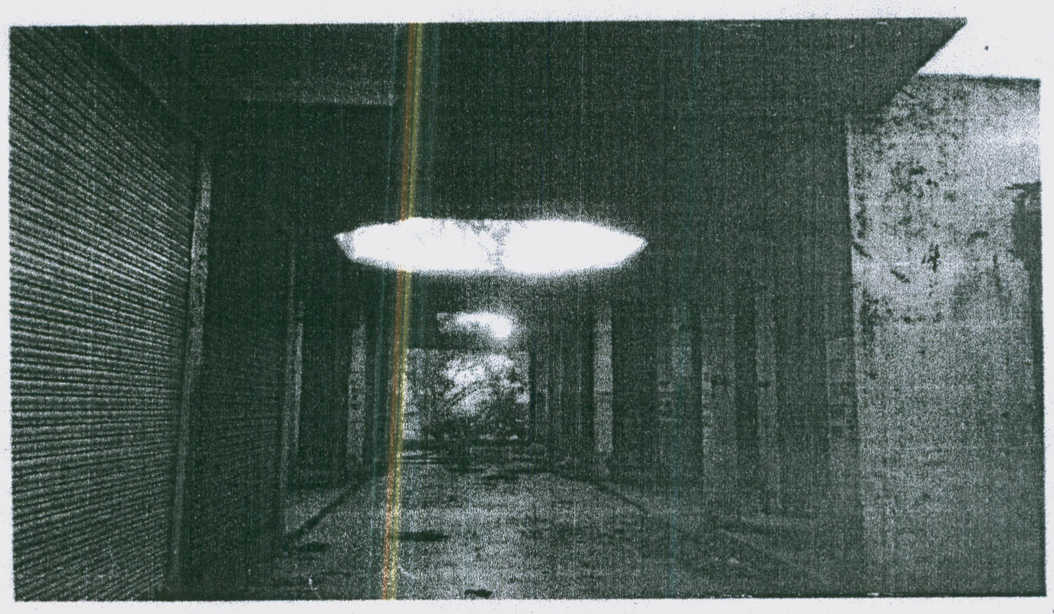

सेटेलाइट इमेज : source Google

4. **प्रस्तावित प्लान:-** चम्बल रिवर फ्रन्ट के लिए मुख्य प्रवेश द्वार निर्माण नयापुरा की तरफ से किया जाना है. जिसमें पुराने ब्रिज के सहारे से 80 फुट रोड़ बनाते हुए प्रवेश द्वार बनाया जाना प्रस्तावित है।